न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

...० पी० केश नं० 452/2017 धारा 107 द.प्र.स.

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
18.3.17	शमशी खाँ बनाम शमशुद्दीन अंसारी बैंकमोड़ थाना अप्राथमिकी सं० 17/17 प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ०नि०/अ०नि० बैंकमोड़ ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी बैंकमोड़ थाना एवं अ० निरी० बैंकमोड़ ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच जमीन संबंधी विवाद को ... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 11.4.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रू० का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय। लेखापित एवं संशोधित अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	5/5/17 27/5/17 10/6/17 23/6/17 10/7/17 26/7/17 14.8.17 14/8/17 30/8/17 13/9/17 28/9/17 12/10/17 30/10/17 10/11/17 समाप्त

TR-5/6/17

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.23 16:13:37 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner